सामान्यजन संदेश

भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में

मधु लिमये

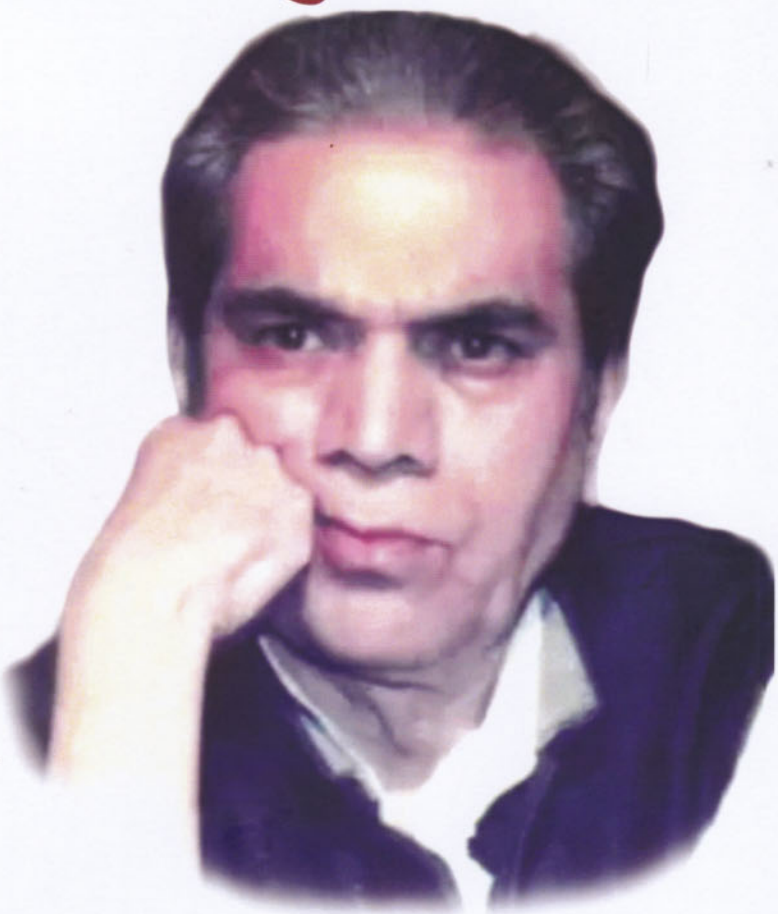

विशेषांक

दिनांक १७ अक्टूबर २०२२

लोहिया अध्ययन केन्द्र, नागपुर का प्रकाशन

Peer Reviewed Journal
ISSN : 2278-3180

सामान्यजन संदेश

विशेषांक

भारतीय लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य में

मधु लिमये

- **मुख्य संपादक**

संदीप तुंडूरवार
राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

डॉ. राहूल बावगे
प्रोफेसर एवं राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख
वसंतराव नाईक शासकीय कला एवं
समाजविज्ञान संस्था, नागपूर

डॉ. अनुपकुमार सिंह
राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख
शासकीय कला महाविद्यालय,
लोधीखेडा, मध्यप्रदेश

- **सहसंपादक**

डॉ. रायण महाजन
राजनीतिशास्त्र विभाग
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय , नागपूर

डॉ. श्रीकांत शेंडे
राजनीतिशास्त्र विभाग
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

डॉ. भास्कर वघाळे
राजनीतिशास्त्र विभाग
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

परिक्षण समिती :

डॉ. वीरेन्द्र चवरे वि वि उज्जैन
डॉ. ख्यातीमय त्रिपाठी, ओरिसा
डॉ. राजेंद्र मुद्दमवार, राजुरा
डॉ. एस.एस.पालेकर, गुलबर्गा, कर्नाटक
डॉ. रविंद्र भणगे, कोल्हापूर
डॉ. रत्नाकर लक्षटे, देगलूर
डॉ. राम बुटले, यवतमाळ

प्रकाशन दिनांक : 17 अक्टूबर 2022

संरक्षक :
रघु ठाकुर
प्रकाश दुबे
सुरेश अग्रवाल
गिरीश गांधी

संपादक :
डा. ओमप्रकाश मिश्रा

संपादक मंडल :
हर्षवर्धन आर्य
टीकाराम साहू 'आजाद'

विशेष सहयोग :
डा. राहुल बावगे

प्रबंधक/प्रकाशक/सचिव :
सुनील पाटील
लोहिया अध्ययन केन्द्र
लोहिया भवन, सुभाष मार्ग,
नागपुर - 440 018
फोन : (0712) 2727438

आवरण चित्र :
लोहिया अध्ययन केन्द्र

सामान्यजन संदेश सदस्यों के लिए मूल्य विवरण :

मूल्य	-	रु. २५
वार्षिक	-	रु. १००
आजीवन	-	रु. २०००

सचिव :
सुनील पाटील द्वारा
छपवाकर लोहिया अध्ययन केंद्र,
लोहिया भवन, सुभाष मार्ग,
नागपुर से प्रकाशित

* यह पत्रिका शैक्षणिक कार्य हेतू नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है।

* पत्रिका से संबंधित सभी विवाद केवल नागपुर स्थित न्यायालय के अधीन होंगे।

* सभी पद मानद एवं अवैतनिक है।

* प्रकाशित रचनाओं के सभी विचारों से, मुख्य संपादक, संपादक, अतिथि संपादक एवं संपादक मंडल की सहमति जरूरी नहीं है। लेखों में प्रकाशित मत, सामग्री उनकी स्वयं की है एवं लेखकों के अपने निजी विचार है।

Peer Reviewed Journal
ISSN : 2278-3180

अनुक्रमणिका

1.	मधु लिमये स्मरण	– रघु ठाकुर	1
2.	दूरदर्शी विचारक : मधू लिमये	– डॉ. संतोष संभाजी डाखरे, डॉ. भगवान विश्वनाथ धोटे	3
3.	भारतीय लोकतंत्र मे विचारधारा संघर्ष : समाजवादी चिंतक मधू लिमये के चिंतन का विश्लेषणात्मक अध्ययन	– प्रा डॉ. ममता विजयराव पाथ्रीकर	6
4.	भारत की संसदीय पद्धति एवं मधु लिमये	– डॉ. अर्चना ज्ञा. पाटील	11
5.	गांधी और मधु लिमये का आर्थिक चिंतन	– भिमराव भिसे	13
6.	भारतीय एकता पर मधू लिमये के विचार	– डॉ. नितीन सुरेशराव कायरकर, डॉ. सचिन पत्रूजी भोगेकर	17
7.	गोवा मुक्ति संग्राम के योद्धा 'मधु लिमये'	– डॉ. संजय गोरे, डॉ. भास्कर वघाळे	22
8.	लोकतांत्रिक शख्सियत 'मधु लिमये'	– संदीप तुंडूरवार, डॉ. अमर बोंदरे, डॉ. संगीता सोमवंशी	26
9.	भारतीय लोकतंत्र में एकता और नैतिकता संबधी मधु लिमयेजी का दृष्टीकोण	– डॉ. उद्धव नरहरी कांबळे	29
10.	मधु लिमये यांचे अल्पसंख्यांक आणि धर्मनिरपेक्षतेबद्दलचे विचार	– राजकुमार सोमेश्वर कोडापे	31
11.	भारतीय राजकारणातील प्रमुख आव्हाने	– प्रा. डॉ. विलास आबा गायकवाड	35
12.	मधु लिमये एक असामान्य नेतृत्व	– प्रा. डॉ. अतुल हणमंत कदम	38
13.	राजकीय विकेंद्रीकरण आणि निकोप लोकशाहीच्या संदर्भात मधु लिमये यांचे योगदान एक राजकीय सिंहावलोकन	– डॉ. नितीन टी. कत्रोजवार	41
14.	आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि राजकारण	– डॉ. राहुल बावगे, डॉ. असिम खापरे	45
15.	स्वातंत्र्याची चळवळ आणि मधु लिमये	– डॉ. विकास बी. चांदजकर	50
16.	पक्षांतर आणि मधु लिमये	– प्रा. डॉ. विनोद को. गायकवाड	54
17.	भारतीय लोकशाहीच्या परिप्रेक्ष्यात मधु लिमये : एक चिकित्सक अध्ययन	– डॉ. सुभाष दौलतराव उपाते	57
18.	सामाजिक न्याय आरक्षण आणि मधु लिंमये	– प्रा. डॉ. संजय एम. अवधुत	62
19.	मधु लिमये : व्यासंगी, मनस्वी अन् तपस्वी नेता	– प्रा. डॉ. रविंद्र भणगे	65
20.	मधु लिमये : राजकीय पक्ष आणि निवडणूक सुधारणा	– प्रा. डॉ. प्रमोद मा. आचेगावे	71
21.	स्वातत्र्यांची चळवळ आणि मधु लिमये	– डॉ. निलेश अ. फटींग	74

22.	मधु लिमये यांचे चळवळीतील योगदान	– डॉ. नंदाजी राघोबाजी सातपुते, डॉ. राहुल प्रकाश चुटे	77
23.	मधु लिमये आणि सामाजिक न्यायाचा दृष्टीकोन	– डॉ. वकील टी. शेख, प्रा. किशोर एन नैताम	80
24.	मधू लिमये एक व्यक्तिमत्व	– डॉ. शरद सांबारे, डॉ. रायन महाजन, डॉ. श्रीकांत शेंडे	84
25.	समाजवादी चळवळीचे अध्वर्यू : मधु लिमये	– प्रा.(डॉ.) सुशांत चिमणकर	86
26.	मधु लिमये यांच्या धर्मनिरपेक्ष विचारांची प्रासंगिकता	– डॉ. राजेंद्र मुद्दमवार, डॉ. भूपेंद्र घरत	94
27.	मधु लिमयेची राजकीय जीवनातील नीतिमत्ता	– पौर्णिमा मेश्राम	99
28.	राष्ट्रक, राष्ट्र, राष्ट्र-राज्य व राष्ट्रवाद	– डॉ. बन्सीलाल मस्के, डॉ. देविदास गाडेकर	102
29.	भारतीय लोकशाहीस प्रवाही ठेवण्यासाठी पक्षाअंतर्गत लोकशाहीची गरज	– अक्षय पिंपळशेंडे, वैभव कुबडे, प्रेमराज करडभाजने	104
30.	कोविड १९ च्या अनुषंगाने निवडणूक प्रशासन व्यवस्थेतील बदलांची गरज	– डॉ. तुषार निकाळजे	106
31.	Politics of Madhu Limaye in the Light of Siyasat Nama of Nizamul Mulk Tusi	- Prof. M. A. Siddiqui	109
32.	Madhu Limaye : An Astute Advocate of Gandhism and Marxism	- Dr. Somnath Barure	113
33.	Madhu Limayes Views on Democratic Socialism	- Samiksha Pali	116
34.	The Need for Democracy with in Party System in India	- Dr. Akbar Badsha	120
35.	Madhu Limaye : Role in Freedom Struggle & Goa Liberation	- Dr. Mubaraque Quraishi	122
36.	Madhu Limaye : The Staunch Republican	- Ankita Raju Khobragade, Dr. Seema S. Malewar	126
37.	Madhu Limaye's perspective on reservation and social status an analytical study	- Vikki S. Gajbhiye	131
38.	मधु लिमये होते तो आज संसद आम जन की होती	– डॉ. विरेन्द्र चावरे, डॉ. अनिल चंदेल	135
39.	संसदीय कार्य के रणनीतिकार के रुप में विख्यात	– मधु लिमये, डॉ. अभयकुमार गुप्ता	137
40.	मधू लिमये जी का भारतीय राजनिती मे योगदान	– प्रा. डा. प्रिया भा. बोचे	138
41.	भारतातील लोकशाही आणि नागरी समाज	– डॉ. हनुमंत फाटक	141
42.	मधु लिमये एक असामान्य नेतृत्व	– डॉ. अतुल हणमंत कदम	144
43.	निवडणूक सुधारणासंदर्भात मधु लिमये यांच्या विचारांची प्रासंगिकता	– डॉ. सुनील अखंडे	147

लोकतांत्रिक शख्सियत 'मधु लिमये'

- संदीप तुंडूरवार
राजनीतिशास्त्र विभाग प्रमुख,
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर
- डॉ. अमर बोंदरे
सहयोगी प्राध्यापक
व्ही.एम.व्ही. कॉलेज, नागपूर
- डॉ. संगीता सोनवंशी
श्री बिंझाणी नगर महाविद्यालय, नागपूर

सारांश

लोकतंत्र को आकार देणे हेतू एक संविधानिक व्यवस्था का होना प्राथमिक और अनिवार्य बाब के रूप मे देखा जाता है.उसी तरह लोकतंत्र को मजबुती देकर उसे सुदृढ बनाने है किये जाने वाले प्रयास जादा अहम होते है। भारत के संविधान की निव संविधान सभा के माध्यम से रखी गयी और उसने मूर्त रूप मे लाया लेकिन, उसपर अंमल करने का दायित्व राजनीतिक रूप से सरकार एवं विरोधी दल का बन गया। भारत जैसे विषमतापूर्वक देश मे लोकतंत्र को लेकर चलना स्वाभाविक बात नही थी। क्योकि, भारत के उपखंड, लॅटिन अमेरिका, पश्चिम आशिया, आफ्रिका में लोकतांत्रिक व्यवस्था आने के बावजूद कुछ ही काल मे वहा पर अधिनायकवादी शासन प्रस्थापित हुआ था जहा पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषमता अधिक मात्रा मे रही. वहा पर लोकतंत्र खडा होना असंभव माना जाता है। भारत में और इसका गहरा प्रभाव दर्शाने वालो पैलू था 'धर्म' भारत का विभाजन मुस्लिम लीग तथा दक्षिणपंती हिंदू के वजह से धर्म के आधार पर हुआ परिणामवश लोकतंत्र की जगह धर्म आधारित व्यवस्था की बात खुले और छुपे प्रारूप में जिंदा रखने की कोशिश की गई थी। फिर भी संविधानिक व्यवस्था के पक्षधर बुद्धिवादी तथा नेतृत्वशील व्यक्तीत अधिक होने से राजनीतिक पायाभूत व्यवस्था लोकतंत्र के बारे मे अनुकूल रही अन्यथा पाकिस्तान मे जो हुआ व भारत मे भी हो सकता था।

मधु लिमये जिस समाजवादी ढाचे से आते है वहा विषमता एवं धर्म की राजनिती को स्थान नही है। उन्होंने हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था को जीवित रखने वाले मुद्दो पर ध्यान केंद्रित कर उसे सुदृढ करने का प्रयास भी किया है। उनका मानना था भारत लोकतांत्रिक व्यवस्थासेही 'पूर्णरूपेन' बन सकता है और उसे बनाने हेतू संसदीय साधनो और महत्वपूर्ण मुद्दो को लेकर चलना पडेगा। उनका निजीगत जीवन आंदोलनोसे प्रारंभ हुआ था 1942 के चले जाओ आंदीलन से शुरू होकर गोवा मुक्ती संग्राम, 1975 का आपत्काल का विरोध करणे हेतू जेल की सजा यह सफर अगर देखते है तो यह शख्सियत लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक प्रखर दीपस्तंभ के तौर पर उभरकर सामने आता है। इंदिरा गांधी के कार्यकाल मे लोकसभा सदन सत्र मे लेखानुदान का प्रस्ताव न रखकर कामकाज खत्म किया गया तो मधु लिमये ने लोकसभा सभापती को आगाज किया की आप का फैसला कितना मुश्कील मे डालने वाला है। लोकसभा सभापतीने तुरंत नभोवाणी से संसद सदस्य को आमंत्रित कर लेखानुदान पर संसद मे रात मे ही चर्चा कर उसे मंजूर करवाया। वर्तमान मे लेखानुदान हो या अन्य प्रस्ताव संसद मे प्रत्यक्ष क्या हो रहा है इस पर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा होने से भी पता नही चलता है. लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने का गहरा हुआ यह संकट कितना भारी है ये समझ मे आता है. तिसरे लोकसभा से लेकर छटवे लोकसभा में वे क्रियाशील रहे और उस दौरान उन्होने जो संसदीय मूल्यो का पथ निर्माण किया व आज भी प्रेरणादायी है.

मुलशब्द – मधु लिमये, लोकतंत्र, संसदीय परंपरा, मुद्दो की राजनीति

विषय प्रवेश

लोकतांत्रिक व्यवस्था मे आर्थिक भ्रष्टाचार के वजह से हमारा बुनियादी लोकतंत्र सहमा गया है इसकी अधिक मात्रा मे चर्चा है। लिमये इस बात से पूरीतरह सहमत नही है. लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने भ्रष्टाचार का मुद्दा जो पैदा हुआ है उसका मूलभूत कारण हमारी निजीगत नैतिकता है। हमने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता को समाप्त किया उससे यह समस्या पैदा हुई है।[1] व्यक्तिगत जीवन मे नैतिकता नही होती तो सार्वजनिक जीवन मे वह नही उतर सकती। मधु लिमये के कुछ उदाहरण इस संदर्भ में जादा महत्वपूर्ण है। 1975 मे आपत्काल की इंदिरा गांधी ने घोषणा की उस दरम्यान उन्हे जेल मे भेजा गया था इसी दरम्यान संसद का कार्यकाल एक साल के लिए बढाया गया था

तब लिमये ने अपनी पत्नी चंपा लिमये को खत भेजकर कहा अपना कार्यकाल पुरा हुआ है अपना बंगला खाली करना चाहिए। चंपा लिमये ने तुरंत अपना बंगला खाली किया और मधु लिमयेने अपने पद का त्यागपत्र भी दे दिया। पुरे जीवन मे उन्होने पत्रकारीता के माध्यम से ही मिलने वाले वेतन पर अपना गुजरान किया यह बात आज चमत्कारिक लगती है इतना मुल्यो का अधःपतन हुआ है। वे कहते है हमे लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ अगर मजबूत करना है तो कुछ मुद्दो पर हमे गौर करना चाहिए. विषमता को समाप्त करना, धर्म के नाम पर जो लामाबंदी की जाती है उसे दूर करना, संविधानिक मूल्योका का पालन करना, नीतीगत एवं सार्वजनिक शुचिता को कायम करना, संसदीय आयुधा का सही तरीके से जनहितार्थ उपयोग मे लाना, राजनैतिक दलो के साथ विचारधारा पर मनमुटाव हो सकता है लेकिन हमने उससे परे जाते हुए लोकतंत्र को शाबूत रखने का प्रयास होना चाहिए। उन्होने संसद मे अपना जो कार्यकाल बिताया वह पुरा जनसवालो पर, उनके अधिकार, मांगो के प्रति रहा। निचले तबके, दबे हुए लोग, सामाजिक न्याय के प्रतीक्षा मे खडे हुए लोगों के लिये उनका काम सरहनिय रहा। जबतक वे संसद मे रहे तब तक आम आदमी की आवाज के रूप में उनकी जगह रही ऐसा माना जाता है हमेशा धर्म की राजनीति को नकार देकर सांप्रदायिक एकता पर विश्वास जताना यही सबसे बडा कार्य लोकतंत्र के प्रति रहा यह उनके बारे मे माना जाता है।

लोकतांत्रिक शख्सियत

भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से उपजे उनका व्यक्तित्व होने के कारण लोकतंत्र पर उनका विश्वास अधिक था। हमारे देश की दुर्दशा अगर समाप्त करना है तो लोकतंत्र का हत्यार सबसे ज्यादा उम्दा और कारगर है। यह व्यवस्था पूरी तरह निर्दोष है यह नही लेकिन समाज के सभी तबको का पोषण एवं विकास लोकतंत्र मे जिस तरह होता है व अन्य किसी प्रणाली मे नही है. हम अधिनायकवादो के पदचिन्ह पर चलकर नये भारत का निर्माण नही कर सकते है। उनका विचार जवाहरलाल नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की विचारों की पुष्टी करने वाला है। नागरिक के मौलिक अधिकार तथा विकास की शाश्वतता एक संविधानिक तथा मजबूत राज्य से आती है वे कहते है मजबूत राज्य का मतलब निरंकुश राज्य नही होता, जनता की इच्छा के निव से वह राज्य बनता है और संविधानिक हक उसके आधार होते है।[2] भारत का सशक्त राज्य होना यह उनकी चाहत थी उसी पथ पर वे हमेशा रहे। धर्म की कटूता को नकार कर भाईचारे की व्यवस्था का समर्थन किया। लोकतंत्र के सामने हमेशा धर्म का आव्हान रहा है.मतावलंबी किसी भी धर्म के हो उन्हे राजनैतिक पैठ जमाने के लिए आस्था का उपयोग किया जाता है।

मधु लिमये पुछते है अगर 'सभी धर्म में सब भूमी ईश्वर, अल्लाह, गार्ड की है तो भूमी को लेकर क्यो संघर्ष निर्माण किया जाता है. विनोबा तो सब भूमी गोपाल की कहते है'।[3] गोपाल याने आम लोग, जो खेतीबाडी वाडी करके गुजरान करते है। जो भूमी हमे पालती है वहा ईश्वर है यह भूमिका होनी चाहिये. शायद इसे स्वीकार किया गया होता तो भारत जैसे देशो में धार्मिक उन्माद, नफरत बढने की जगह नही होगी लेकिन मधु लिमये के पश्चात धर्म का पैरोकार रखने वालो के हाथ मे सत्ता की बागडौर आने से लोकतांत्रिक ढाचे को धक्का पहूचा है यह बात वर्तमान मे मधु लिमये के विचारोंकी याद दिलाता है। भारत ने स्वतंत्रता आंदोलन से आजादी पायी वह केवल भारत के लिए ही नही तो विश्व के लिए मिसाल बनी जो वसाहतवाद तथा साम्राज्यवाद से मुक्तता की और थी। मधु लिमये मे कहते है जहा सत्य है कि भारत की आजा़दी विश्व के सभी भागो में साम्राज्यवाद के अंत का मंगलाचरण बनी.[4] इससे विश्वभर मे लोकतांत्रिक रचना के प्रति आकर्षण भी निर्माण हुआ। भारत ने अपनी कटिबद्धता रखी मात्र विश्वभर मे इस तरह की पहल नही हो पायी यह हमारे लिए सुखद है लेकिन उसे आज के वर्तमान में अधिक संजोगना होगा क्योकी भांडवली व्यवस्थाने अपनी पैठ जमा कर नागरिक मताधिकार का महत्व केवल मतदान तक सिमीत कर निर्वाचन तंत्र एक विलोभनीय तथा आकर्षक व्यवस्थापन मे तब्दील किया यह नवसाम्राज्यवाद की शायद पहल हो सकती है। 2014 के पश्चात भारत के निर्वाचन राजनीति में जो बदलाव आये है वह सबसे ज्यादा लोकतंत्र को क्षतिग्रस्त करने वाले है. जिस राज्य मे अपनी सरकारे नही है वहा पर प्रशासन तथा भांडवली व्यवस्था का उपयोग कर खरेदीपरोक्त की नई राजनीति पैदा हुई है तथा सामान्य मतदार के हक्क को कुचलने वाली है। धर्म, उद्योग हमेशा हात मिलाकर चलते है इससे लिमये भलेभॉति परिचित थे इसीवजह वह साशंकता जताते रहे। वर्तमान मे जो करवट लि ली है वह भारत के लोकतंत्र को आत्मघात जैसे है. विडबंना यह है की हमने भारत के लोगों के लिए आजादी हासील की थी अब

वह गिने-चुने लोगो तक परिवर्तित हुयी है यह संभाव्य धोका है. भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने की उनकी जो पहल थी उसमे सामाजिक न्याय का मुद्दा अधिक महत्वपूर्ण लगता था उन्होने जवाहरलाल नेहरू के 'डिस्कवरी ऑफ इंडिया' मे लिखित एक महत्त्वपूर्ण तथ्य के तरफ ध्यान आकर्षित किया है अतः न सिर्फ सभी को समान अवसर दिए जाने चाहिए बल्की पिछडे समूह को शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास के लिए विशेष अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वे उन लोगो की बराबरी मे आ सके जो उनसे आगे है।[5] इसी भूमिका पर जोर देते हुए उन्होने विस्तार से अपनी बात रखी है। वे कहते है पिछडा वर्ग की परिभाषा धर्म से परे हो वह वर्गसूचित अधिक बनाना चाहते थे क्योकी भारत की पेचिदा स्थिती देखे तो यहा की जातिगत व्यवस्थाने विषमता अधिक पेचिदा बनायी है। उससे उभरणे के लिए संविधानिक व्यवस्था का होना जितना महत्वपूर्ण है उतना नेक विचारो से अंमल मे लाना महत्वपूर्ण है जब यह वह वस्तुस्थिती मे आयेगा तब सामाजिक न्याय के निर्माण मे पहल होगी. मधु लिमये का सोचने का तथा उसपर काम करने दायरा व्यापक था इसीवजह यह शख्सियत लोकतांत्रिक मानी गयी।

समालोचन

मधु लिमये का दौर और आज के वर्तमान को देखा जाये तो जो मुद्दे लिमये के लिए जादा महत्वपूर्ण थे वह आज भी उतने ही विचारस्नमुख है। लेकिन इस बात को लेकर भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करने वालों में चर्चा का विषय नही है यह जादा असंवेदनशील बात है। धर्म, उद्योग, संस्थात्मक रचना, माध्यम जगत इन सभी पर कट्टरतावाद ने अपना शिकंजा कसा है.वहा का अवकाश लोकतंत्रिक व्यवस्था के लिये खुला नही है। केवल मधु लिमये को याद कर या उसपर लिखकर लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढता निर्माण हो पाना काव्यगत न्याय रहेगा इसमे अगर अंतर लाना है तो तब आएगा जब भारतीय नागरिक वैयक्तिक नीतिमत्ता के साथ लोकतंत्र पर पाश डालने वालो की विरुद्ध अपणा आंदोलन खडा कर देंगे। मधु लिमये ने अपने कार्यकाल मे रास्ते की लढाई, जेल की लढाई, कलम की लढाई कभी नही छोडी। उनके गुरू लोहिया ने म. गांधी उपयोग मे लाते थे वह साधनो को चुना। म. गांधी के साधन अलग थे लोहिया ने फावडा, मतदान, जेल को साधन मानकर लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपना दायित्व रखा वैसेही मधु लिमये का था। इस शख्सियत के प्रति अगर आवाज दुगनी करना है तो श्रम, लेखन, आंदोलन हो सके तो जेल जरुरी है। यही मधु लिमये का सटीक आकलन होगा।

संदर्भ सूची :

1. सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का लोप, मधु लिमये, समाजवादी विचारमाला, दिल्ली, 1993, पृष्ठ क्र. 5
2. धर्म और राजनीति : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार, मधु लिमये समाजवादी साहित्य संस्था, दिल्ली, 1992, पृष्ठ क्र. 47.
3. संघ परिवार की लचरबौद्धिकता, मधु लिमये, समाजवादी विचारमाला, दिल्ली, 1993, पृष्ठ क्र. 29.
4. ऑगस्ट क्रांती का बहुआयामी परिदृश्य, मधु लिमये, समाजवादी विचारमाला, दिल्ली, 1992, पृष्ठ क्र. 30.
5. सामाजिक न्याय व आरक्षण, मधु लिमये, समाजवादी विचारमाला, दिल्ली, 1994, पृष्ठ क्र. 2

♦